

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Jammu & Kashmir	781	776	2	770	757	2
7	Karnataka . . .	4536	4727	18	4777	5203	18
8	Kerala	5255	5187	20	8810	8956	57
9	Madhya Pradesh .	580	563	14	567	566	13
10	Maharashtra . .	11523	11842	321	11321	11803	361
11	Nagaland . . .	78	67	5	NR	NR	NR
12	Orissa	1156	1152	1	1128	1131	5
13	Punjab	234	240	31	195	198	14
14	Rajasthan . . .	3616	3513	17	1457	1450	8
15	Tamil Nadu . .	4639	4469	111	4800	4543	94
16	Uttar Pradesh .	2089	2074	47	1136	1173	19
17	West Bengal . .	940	816	26	NR	NR	NR
18	Delhi	NR	NR	NR	642	599	33

Note : —N.R.—INFORMATION NOT RECEIVED

Homoeopathy Treatment for Curing Aids

2700. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the steps Government have taken to promote the homoeopathy treatment and render help in research work for curing AIDS which the homoeopaths claim successful in treatment HIV positive patients?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHAN-KARANAND): The Central Council for Research in Homoeopathy, set up by the Government to promote research in homoeopathy, has already undertaken research projects to evaluate homoeopathic therapy in a symptomatic HIV infection. The initial results obtained claiming success in a few cases require further confirmation through detailed scientific trials and studies which are being taken up by the Council.

प्रत्येक राज्य में पकड़े गये अपमिश्रित खाद्य पदार्थ और औषध

2701. श्री दिलीप सिंह जूवेव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 से लेकर 1992-93 तक खाद्य पदार्थों और औषधों के अपमिश्रण के संबंध में राज्य-वार और वर्षवार कितने मामले पकड़े गए थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन मामलों में राज्यवार कितने व्यक्ति दोषी पाए थे;

(ग) मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अपमिश्रित और घटिया औषधों के उत्पादन और बिक्री के कितने मामले कितन-कितन क्षेत्रों में पकड़े गए थे; और

(घ) अपमिश्रित खाद्य पदार्थों और औषधों पर कारगर ढंग से नियन्त्रण

रखने के लिए की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग)
उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990
और 1991 के दौरान मामलों को
संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया
है। [नीचे देखिये]

(घ) जांच करने पर जब भी मिला-
वटी पाए गए खाद्य पदार्थ या नकली
श्रीषधि का कोई मामला प्रकाश में
आता है तो संबंधित राज्य खाद्य/श्रीषधि
लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अभियोग
चलाया जाता है, प्रशासनिक कार्रवाई
भी की जाती है। प्रयोगशाला परीक्षण
सुविधाओं को स्थापित करने/उन्नत बनाने
के लिए राज्यों को सहायता दी जा
रही है।

विवरण-I

वर्ष 1990 के दौरान, जांचे गये और मिलावटी पाये गये खाद्य नमूनों, चलाये
गये अभियोजनों और दोषी पाये गये मामलों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जांचे गये नमूनों की संख्या	मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या	चलाये गये अभियोजनों की संख्या	दोषी पाये गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8928	813	134	47
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	1	—	—
3.	असम	1856	249	178	—
4.	बिहार	2254	441	—	12
5.	गोवा	472	21	17	1
6.	गुजरात	9975	655	456	140
7.	हरियाणा	4329	589	454	82
8.	हिमाचल प्रदेश	1748	278	254	47
9.	जम्मू व कश्मीर	759	84	84	28
10.	कर्नाटक	1802	111	31	2
11.	केरल	10417	196	93	33
12.	मध्य प्रदेश	6105	1293	937	287
13.	महाराष्ट्र	21807	895	320	51
14.	मणिपुर	16	3	3	—
15.	मेघालय	121	18	10	—
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	—	—

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	101	18	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18.	उड़ीसा	1237	361	293	62
19.	पंजाब	4221	440	405	25
20.	राजस्थान	1883	480	680	240
21.	सिक्किम	35	8	8	3
22.	तमिलनाडु	18303	1266	1098	353
23.	त्रिपुरा	398	34	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
24.	उत्तर प्रदेश	18344	2368	2014	821
25.	पश्चिम बंगाल	1721	275	256	25
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	53	4	—	—
27.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	269	40	75	48
28.	दादरा व नगर हवेली	24	2	2	13
29.	दमण व दीव	1	1	1	—
30.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	499	79	125	94
31.	लक्षद्वीप	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	—
32.	पांडिचेरी	793	101	41	28

विवरण-II

वर्ष 1991 के दौरान जांचे गये और मिलावटी पाये गये नमूनों, चलाये गये अभियोजनों और दोषी पाये गये मामलों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र	जांचे गए नमूनों की सं०	मिलावटी पाए नमूनों की सं०	चलाए गए अभियोजनों की सं०	दोषी पाए मामलों की सं०
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8989	976	177	33
2.	अरुणाचल प्रदेश	23	11	3	—
3.	असम	1357	213	180	शून्य
4.	बिहार	2037	464	153	7
5.	गोवा	434	21	13	10

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात . . .	9254	699	458	105
7.	हरियाणा . . .	4446	637	567	168
8.	हिमाचल प्रदेश . . .	2034	365	296	64
9.	जम्मू और कश्मीर . . .	985	134	114	4
10.	कर्नाटक . . .	2624	193	39	
11.	केरल . . .	8970	1694	121	—
12.	मध्य प्रदेश . . .	7068	1636	1540	329
13.	महाराष्ट्र . . .	27450	904	493	76
14.	मणिपुर . . .	33	4	5	—
15.	मेघालय . . .	112	32	29	—
16.	मिजोरम . . .	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड . . .	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
18.	उड़ीसा . . .	1244	392	308	69
19.	पंजाब . . .	3691	302	340	36
20.	राजस्थान . . .	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
21.	सिक्किम . . .	20	6	6	—
22.	तमिलनाडु . . .	17840	1180	1015	162
23.	त्रिपुरा . . .	325	28	8	—
24.	उत्तर प्रदेश . . .	11085	1951	1621	1016
25.	पश्चिम बंगाल . . .	1488	235	235	24
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	96	14	—	—
27.	चंडीगढ़ . . .	446	31	61	63
28.	दादरा व नगर हवेली . . .	27	—	1	—
29.	दमण और दीव . . .	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली . . .	619	99	69	50
31.	लक्षद्वीप . . .	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी . . .	464	48	33	9

विषय-III

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-1992 के दौरान नकली पाये गये औषध नमूनों की संख्या

क्रम	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
संख्या				
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	5	शून्य
2.	असम	शून्य	1	शून्य
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	3	7
7.	हरियाणा	शून्य	10	24
8.	हिमाचल प्रदेश	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर राज्य (जम्मू)	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	11	17	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	3	3	शून्य
13.	महाराष्ट्र	7	शून्य	20
14.	मणिपुर	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध
18.	उड़ीसा	1	4	1
19.	राजस्थान	शून्य	10	7
20.	पंजाब	4	4	15
21.	सिक्किम	अनुपलब्ध	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	3	7	2
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	1
24.	उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	57	14
25.	पश्चिम बंगाल	4	अनुपलब्ध	5
26.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	2	4	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	अनुपलब्ध
		35	125	96

विवरण-IV

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान तकली/अपमिश्रित
श्रीषष्ठों के निर्माण के मामलों के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	दोषी पाए गए मामलों की संख्या			दोष सिद्ध मामलों की संख्या		
		1989- 90	1990- 91	1991- 92	1989- 90	1990- 91	1991- 92
1.	असम	4	1	शून्य	मुक्तदम लंबित	मुक्तदम लंबित	1
2.	आंध्र प्रदेश	8	10	13	शून्य	1	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	1	लंबित	लंबित	लंबित
4.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
5.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
6.	दिल्ली	शून्य	4	शून्य	—	—	1
7.	गुजरात	3	8	5	—	—	2
8.	गोवा	3	—	—	लंबित	लंबित	लंबित
9.	हरियाणा	8	—	7	—	—	—
10.	हिमाचल प्रदेश	—	2	शून्य	—	2	शून्य
11.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
12.	केरल	1	—	—	—	—	—
13.	कर्नाटक	1	शून्य	1	—	—	—
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
16.	महाराष्ट्र	33	30	40	1	4	1
17.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	10	—	9	लंबित	लंबित	लंबित
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
20.	छत्तीसगढ़	11	8	2	—	2	—
21.	पंजाब	8	—	6	1	—	5
22.	राजस्थान	21	14	3	1	1	—
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
24.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
25.	तमिलनाडु	5	3	3	2	1	1
26.	उत्तर प्रदेश	—	—	10	—	—	1
27.	पश्चिम बंगाल	2	—	8	—	—	1